आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद सं 101/2014	
18/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **राज कुमार कर्ण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा, पिता–स्व0 जमुना प्रसाद कर्ण, डाक बंगला रोड, थाना–नगर, जिला–सारण (स्थायी पता– कर्ण अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 201, पुनाईचक, थाना–शास्त्री नगर, पो0–एन.बी.एस. नगर, जिला–पटना)** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5578/गो0 18.12.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक राज कुमार कर्ण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा, पिता–स्व0 जमुना प्रसाद कर्ण, डाक बंगला रोड, थाना–नगर, जिला–सारण (स्थायी पता– कर्ण अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 201, पुनाईचक, थाना–शास्त्री नगर, पो0–एन.बी. एस. नगर, जिला–पटना) के द्वारा एक रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। आवदक के द्वारा बताया गया कि वे वर्त्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के पद पर कार्यरत हैं। सदर अनुमंडल के विधि–व्यवस्था संबंधी कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए उन्हें किसी भी समय क्षेत्र में जाना पड़ता है, जिससे उनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस थानाध्यक्ष, नगर थाना के ज्ञापांक डी.आर. 1929 दिनांक 13.12.14 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक शून्य दिनांक 14.12.14, अंचलाधिकारी, सदर के पत्रांक 834 दिनांक 17.12.14 तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 1642 दिनांक 17.12.14 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5578/गो0 दिनांक 18.12.14 के द्वारा आवेदन पत्र मूल में संलग्न कर अनुशंसा के	

साथ प्रेषित किया गया।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक एवं इनके परिवार के उपर व्याप्त खतरे के मद्‌देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, नगर थाना, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 **जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक राज कुमार कर्ण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा, पिता–स्व0 जमुना प्रसाद कर्ण, डाक बंगला रोड, थाना–नगर, जिला–सारण (स्थायी पता– कर्ण अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 201, पुनाईचक, थाना–शास्त्री नगर, पो0–एन.बी.एस. नगर, जिला–पटना)** को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 12/न्या० दिनांक 05/01/2015
प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण/जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण/DIO, NIC, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
5/1/15